5रु. 5रु. 5रु. 5रु. Rs.5

CANCELLED CANCELLED.

भारत भारत INDIA

पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

गनी खॉ पिता रहमान खान आयु वर्ष
पेशी कृषि निवासी ग्राम अमरछी निगरानी-3302/2018/पन्ना/भू.रा.सं.
तह. अजयगढ जिला पन्ना ....आवेदक

//विरूद्ध//

रज्जाक खां तनय कल्लू खां
निवासी ग्राम अमरछी तह. अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0
..........अनावेदक

B.O.R.
04 APR 2018

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 पुनरीक्षण म0प्र0भू0रा0संहिता

आवेदन पत्र वास्ते न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0 का रा0प्र0क्र0 01/अ-6/2016-17 आदेश दिनांक 18.01.2018 के आदेश के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

महोदय

आवेदक/प्रार्थी की निम्न विनय है कि :-

1. यह कि आवेदक राज्जाक खां निवासी ग्राम अमरछी तहसील अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0 द्वारा संहिता की धारा 89 एवं 113 लेख करते हुए वंदोवस्त के समय हुये नक्शा में त्रुटि की सुधार हेतु अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0 के समक्ष दिनांक 01.03.2016 को प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन पत्र मूलतः श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3302/2018/पन्ना/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-06-2018	आवेदक की ओर से श्री अनिल चौबे अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-01-2018 का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को तलब कर रिकार्ड सुधार हेतु आदेश पत्रिका दिनांक 16-12-2016 को प्रतिवेदित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गनी खां द्वारा लगाये गये आरोप आधारहीन होना पाया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक गनी खां द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । सदस्य	
रीडर		